राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
सचिव, स्वास्थ्य सह
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/PM/43/2005-P-III/1873
पटना, दिनांकः 14/6/16

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषयः पुरूष नसबंदी ऑपरेशन योजनाबद्ध तरीके से संम्पादित करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रतिपूर्ति के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत पुरूषों की भागीदारी भी अति महत्वपूर्ण है। विदित हो कि विगत कुछ वर्षो से पुरूष नसबंदी ऑपरेशन में लगातार गिरावट परिलक्षित है, जो निराशाजनक हे एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के विस्तारीकरण के रास्ते का अवरोधक है।

राज्य में कुल 111 प्रशिक्षित NSV सर्जन है (सूची संलग्न)। इन प्रशिक्षित सर्जन में से कुछ NSV सर्जन को छोड़कर सभी सर्जनों द्वारा नगण्य उपलब्धि परिलक्षित है, जो सरकार के कार्यों के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है।

इसी क्रम में यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध तरीके से पुरूष नसबंदी सम्पादित किया जाय। तत् के आलोक में:

1. जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल पर दक्ष/प्रशिक्षित NSV सर्जन है, उक्त स्वास्थ्य संस्थान में नजदीक के चार–पांच स्वास्थ्य संस्थानों को संबद्ध करते हुये Fixed day services (FDS) के तर्ज पर प्रचारित करते हुये सप्ताह में कम–से–कम एक दिन पुरूष नसबंदी सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए Pre-Registration पद्धति को और विकसित किया जाना है, जिसके तहत् आशा, ए०एन०एम०, परिवार कल्याण परामर्शी, आंगनवाड़ी सेविका, विकास मित्र एवं जीविका सहेली का इष्टतम उपयोग पुरूष client mobilization के लिए किया जा सकता है। इसके लिए RCH register के योग्य दम्पति सर्वे से संबंधित EC-2 को आधार मानते हुए योग्य एवं इच्छुक पुरूष लाभार्थी को आशा द्वारा उत्प्रेरित करते हुए Pre-registration योजना संबंधित ज्ञापांक 5516 दिनांक 25.08.2015 में दिए गए प्रपत्र–1 के माध्यम से आशा दिवस के दिन उनके द्वारा BCM/BHM को लाभार्थियों की सूची हस्तगत करना है। उन पुरूष लाभार्थियों का FDS के तहत नसबंदी सम्पादन सुनिश्चित करना है। केन्द्रित स्वास्थ्य संस्थान के स्वास्थ्य प्रबंधक एवं उनके नजदीक के स्वास्थ्य संस्थानों के स्वास्थ्य प्रबंधक आपसी समन्वय स्थापित करते हुये इच्छुक लाभार्थियों को लाने हेतु व्यवस्था करेंगे।
2. तदनोपरान्त पत्र के साथ संलग्न मासिक प्रपत्र में प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक अगले माह के 5 तारीख तक जिला स्वास्थ्य समिति को, जिला स्वास्थ्य समिति उसी दिन प्रखण्डवार संकलित करते हुये जिला मूल्याकंन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के सहयोग से क्षेत्रीय

प्रबंधन इकाई को तथा क्षेत्रीय प्रबंधन इकाई क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आशा समन्वयक की सहायता से जिलावार आँकड़ों को संकलित करते हुये प्रत्येक माह के 6 तारीख तक अचूक रूप से ई–मेल ddfp@statehealthsocietybihar.org एवं fpshsb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. यदि पुरूष नसबंदी हेतु जिलो में सर्जन उपलब्ध नहीं हैं तो क्षेत्रीय अपर निदेशक स्तर से NSV सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए सिविल सर्जन एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। NSV सर्जन की उपलब्धता अन्य जिलों अथवा अन्य सरकारी संस्थान से सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्याशा में FMR Code: A.3.3 एवं कैम्प आयोजन की स्थिति में FMR Code: A.3.1.2 में किये गये प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है।
4. यहाँ यह स्पष्ट करना है कि NSV सर्जन द्वारा एक माह में अधिकाधिक पुरूष नसबंदी ऑपरेशन सम्पादित नहीं करने की स्थिति में संबंधित NSV सर्जन पर सरकार के कार्यों में लापरवाही का आरोप गठित करते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा सरकार को की जायेगी।

अनुलग्नक– यथोक्त (Reporting Format)।

विश्वासभाजन

14/6

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

प्रबंधन इकाई को तथा क्षेत्रीय प्रबंधन इकाई क्षेत्रीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आशा समन्वयक की सहायता से जिलावार आँकड़ों को संकलित करते हुये प्रत्येक माह के 6 तारीख तक अचूक रूप से ई–मेल ddfp@statehealthsocietybihar.org एवं fpshsb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. यदि पुरूष नसबंदी हेतु जिलो में सर्जन उपलब्ध नहीं हैं तो क्षेत्रीय अपर निदेशक स्तर से NSV सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए सिविल सर्जन एवं क्षेत्रीय अपर निदेशक के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। NSV सर्जन की उपलब्धता अन्य जिलों अथवा अन्य सरकारी संस्थान से सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्याशा में FMR Code: A.3.3 एवं कैम्प आयोजन की स्थिति में FMR Code: A.3.1.2 में किये गये प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है।
4. यहाँ यह स्पष्ट करना है कि NSV सर्जन द्वारा एक माह में अधिकाधिक पुरूष नसबंदी ऑपरेशन सम्पादित नहीं करने की स्थिति में संबंधित NSV सर्जन पर सरकार के कार्यों में लापरवाही का आरोप गठित करते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा सरकार को की जायेगी।

अनुलग्नक– यथोक्त (Reporting Format)।

विश्वासभाजन
ह0/–
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक सं.: 1873 **पटना, दिनांक:** 14/6/16

प्रतिलिपि:

– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
– निदेशक/मिशन निदेशक– जीविका, बिहार महादलित विकास मिशन, समेकित बाल विकास परियोजना को सूचनार्थ एवं जिला एवं प्रखंड स्तर पर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपरोक्त पुरूष नसबंदी ऑपरेशन में इच्छुक लाभार्थियों को अपने FLWs के माध्यम से उत्प्रेरित करने संबंधित वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु निदेशित करना चाहेंगे।
– डा0 एस0 के0 सिकदर, उपायुक्त एवं प्रभारी, परिवार कल्याण प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
– सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
– टीम लीडर, आश संसाधन केन्द्र (ARC), रा0स्वा0समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
– सभी जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ACMO को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org